सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

वृहस्पतिवार, तिथि 03 चैत्र, 1944 (श०) / 24 मार्च, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 118

(1)	गृह विभाग	58
(2)	सामान्य प्रशासन विभाग	13
(3)	वित्त विभाग	06
(4)	उद्योग विभाग	17
(5)	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	06
(6)	मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग	04
(7)	गन्ना उद्योग विभाग	07
(8)	सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	01
(9)	सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग	02
(10)	निगरानी विभाग	02
(11)	निर्वाचन विभाग	02
	कुल योग --	118

उद्योग पुनः चालू करना

*2736. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के बरियारपुर स्थित खादी ग्रामोद्योग ग्राम-स्वराज संघ, बरियारपुर में पूर्व में 600 मजदूर काम करते थे, आज बंद पड़ा है एवं सभी कार्यरत कर्मचारी एवं मजदूर बेरोजगार हो गये हैं, यदि हाँ, तो सरकार खादी ग्रामोद्योग, बरियारपुर को कबतक पुनः चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गिरफ्तारी कराना

*2737. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत विदुपुर थाना क्षेत्र के ककरहटा ग्राम निवासी राम नरेश राय के पुत्र अमरजीत कुमार (20) की निर्मम हत्या 5 अक्टूबर, 2020 को कर दी गई थी, जो विदुपुर थाना कांड संख्या 418/2020, दिनांक 5 अक्टूबर, 2020 दर्ज है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कांड के 11 मुख्य अभियुक्तों (नामजद) में से 8 की गिरफ्तारी अभीतक नहीं की जा सकी है, जो मुकदमा को प्रभावित कर रहा है तथा पीड़ित पक्ष को धमका रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाना कांड संख्या 418/2020 में दर्ज मुख्य अभियुक्तों में से 8 अभियुक्त, जो फरार है, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2738. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, निगरानी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेरघाटी, गया के कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य अभिकरण, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी के द्वारा विगत किये गये घोर अनियमितता के कार्यों की जाँच हेतु कार्यालय पत्रांक 042/21, दिनांक 10 जून, 2021 द्वारा निगरानी विभाग से माँग की गयी थी, किन्तु अभीतक कोई कार्रवाई नही की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जाँच कराकर दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निवेशकों का राशि का भुगतान

*2739. श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी (क्षेत्र संख्या-95 काँटी)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहारा इंडिया के कुल्हड़िया कम्प्लेक्स, अशोक राजपथ, पटना में नरगीस शमीम द्वारा 1550400073, 15504000074, 15504000075 में 35,850 रुपये राशि एवं 815502018481, 81550015166 एवं 815502017590 में 35,850 जिसकी परिपक्वता जून, 2018 मो0 आफताब, खाता संख्या 15504100055 में 24,792.50 एवं खाता संख्या 1550410056 में 24,792.50 की परिपक्वता जून, 2018, श्री विजय कुमार गोंड, खाता संख्या 15504212296 तथा न्यू मार्केट, पटना शाखा में खाता संख्या श्री विजय कुमार गोंड का खाता संख्या 820422026214 में 9,871 रुपये एवं युग आनंद, खाता संख्या 20423406170 में 12,000 रुपये की परिपक्वता 23 अप्रील, 2017 में हो गयी है किन्तु उक्त निवेशकों की परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्णित निवेशकों की राशि का पूर्ण भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*2740. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी अनुमंडलों के उप-कारा का निर्माण किया जाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला मुख्यालय, मोतिहारी से सिकरहना अनुमंडल 26 किलो मीटर दूरी पर अवस्थित है तथा सबसे पुराना अनुमंडल है किन्तु पूर्वी चम्पारण के सभी 6 अनुमंडलों में एक भी उप-कारा निर्माण नहीं हुआ है तथा मोतिहारी जेल को जिला जेल से सेन्ट्रल जेल में परिणत किया जा चुका है ;

(3) क्या यह बात सही है कि सेन्ट्रल जेल, मोतिहारी में क्षमता से अधिक बंदी है तथा अनुमंडल न्यायायिक दंडाधिकारी, सिकरहना के न्यायालय में उपस्थित कराने के लिये प्रतिदिन 26 किलो मीटर की दूरी से कैदियों को लाना पड़ता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सिकरहना अनुमंडल में उप-कारा का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी करवाना

*2741. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखंड नीमचक बथानी के ग्राम-सरौजी में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने की वजह से दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्राम में कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक करवाने की विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

यात्रा-भत्ता का भुगतान करना

*2742. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि माननीय विधायक, विधान पार्षद के साथ अंगरक्षक के रूप में जो पुलिसकर्मी ड्यूटी में लगे हैं उनका यात्रा विराम भत्ता रोक दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला में बिहार पुलिस के जवानों का यात्रा-भत्ता पिछले एक वर्ष से लम्बित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार माननीय विधायकों के साथ प्रतिनियुक्त बिहार पुलिस के जवानों को यात्रा-भत्ता देने एवं लम्बित भत्ता के भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार

*2743. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिंहवाड़ा प्रखंड अन्तर्गत सिंहवाड़ा में खादी ग्रामोद्योग भवन जर्जर अवस्था में है, जो विलुप्त होने के कगार पर है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भवन का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग भवन, हाजीपुर, दरभंगा जिला खादी ग्रामोद्योग संघ का उत्पादन केन्द्र है । उक्त संस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है ।

अत: बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उक्त भवन का जीर्णोद्धार नहीं कराया जा सकता है ।

सेवा का समायोजन

*2744. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बता सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बंद पड़े पंडौल सूत मिल्स में कार्यरत कर्मियों की मूल सेवा पुस्तिका के साथ सभी साक्ष्य महाप्रबंधक-सह-प्रबंध निदेशक, पंडौल सूत मिल्स-सह-जिला उद्योग केंद्र, मधुबनी को समर्पित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग संकल्प सं0 38/लो0उ0प्र0 विविध 17/15-52/वि0, 14 मार्च, 2018 के आलोक में कार्यरत कर्मियों की सेवा का समायोजन किया जा सकता है जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बंद पड़े पंडौल सूत मिल्स में कार्यरत कर्मियों की सेवा का समायोजन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ओ0 बी0 सी0 सूची में शामिल कराना

'अ'-*2745. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभुतिपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा वैश्य जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल सूची के क्रम सं0 12 में रखा गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि केन्द्र की ओ0 बी0 सी0 सूची में वैश्य पोद्दार जाति शामिल नहीं है जिससे केन्द्र सरकार द्वारा घोषित आरक्षण का लाभ इन्हें नहीं मिल पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वैश्व पोद्दार जाति को केन्द्र की ओ0 बी0 सी0 सूची में शामिल करने के लिए पहल करने का विचार रखती हैं, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) यह मामला राज्य सरकार से संबंधित नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के किसी जाति को केन्द्र की ओ0 बी0 सी0 की सूची में शामिल करने का मामला केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली की अनुशंसा के आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकार हैं।

(3) प्रश्न की कंडिका-2 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। वैश्य पोद्दार जाति को केन्द्र की ओ0 बी0 सी0 में शामिल करने से संबंधित कोई पत्र केन्द्र सरकार अथवा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली से मंतव्य हेतु विभाग में प्राप्त नहीं है ।

उम्र सीमा बढ़ाना

*2746. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति के बाद सेवान्त लाभ के रूप में प्रति वर्ष सैकड़ों करोड़ रुपये व्यय भार करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि तेलंगाना, उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्यों के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 62 वर्ष है, परन्तु बिहार के सेवानिवृत्ति उम्र 60 वर्ष है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाकर 62 वर्ष करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*2747. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलांतर्गत दुल्हिनबाजार प्रखंड के ग्राम धाना निसरपुरा पंचायत के कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में उप विकास आयुक्त, पटना की मांग पर अनुमंडल व प्रखण्ड से संबंधित पदाधिकारियों द्वारा सकारात्मक अनुशंसा (अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यालय से पत्रांक संख्या 637/2017) के बावजूद उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'अ'-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से सामान्य प्रशासन विभाग में स्था0।

व्यवस्था कराना

*2748. श्री सिद्धार्थ पटेल (क्षेत्र संख्या-125 वैशाली)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली विधान सभा अन्तर्गत पटेढ़ी बेलसर प्रखंड में गर्मी के दिनों में लगभग प्रतिवर्ष आग लगने की घटना होती है जिससे काफी जान-माल का नुकसान होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पिछले माह उपर्युक्त प्रखंड के मौना गाँव के निकट महादलित टोला में आग लग जाने के कारण काफी क्षति होने के साथ एक महादलित परिवार की बच्ची की मृत्यु हुई थी ;

(3) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त प्रखंड में अग्निशामक वाहन भी उपलब्ध नहीं है तथा अन्य जगह से अग्निशामक वाहन के आने के कारण आग से काफी नुकसान हो जाता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में एक मिनी अग्निशामक वाहन की व्यवस्था स्थायी रूप से कराने विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना में परिवर्तित करना

*2749. श्री सतीश कुमार (क्षेत्र संख्या-218 मखदुमपुर (अ0 जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला जहानाबाद में भेलवार, बिशुनगंज, टेहटा, कल्पा, ओकरी, कड़ौना ओ0 पी0 अपने थाना भवन में संचालित हो रहा हैं तथा ओ0 पी0 थाना बनने का नियम और शर्त को भी पूरा करता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ओ0 पी0 को थाना में कबतक परिवर्तित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फायर बिग्रेड की व्यवस्था कराना

*2750. श्री हरिशंकर यादव (क्षेत्र संख्या-108 रघुनाथपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत रघुनाथपुर प्रखंड में फायर ब्रिगेड विगत 2 वर्ष पूर्व रघुनाथपुर से हटाकर सीवान जिला मुख्यालय जो 25 कि0 मी0 की दूरी पर है, में ले जाने के कारण इस प्रखंड में आगलगी पर काबू पाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्ड में फायर बिग्रेड की व्यवस्था कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल बनाना

*2751. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला बिहार का सबसे बड़ा जिला होने के बावजूद मात्र तीन ही अनुमंडल के स्वरूप में है यथा-बेतिया, नरकटियागंज तथा बगहा, जबकि पूर्वी चम्पारण जिला में छह (6) अनुमण्डल है, यदि हाँ, तो सरकार पूर्वी चम्पारण की तरह पश्चिम चम्पारण में भी योगापट्टी सिकटा तथा वाल्मिकीनगर को भी कबतक अनुमंडल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं0 223, दिनांक 12 फरवरी, 2021 द्वारा राज्य में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन हेतु "मंत्रियो का समूह" उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित है एवं पुनर्गठन के संबंध में लम्बित प्रस्तावों की समीक्षा कर उसे मंत्रियों के समूह के समक्ष रखने हेतु "सचिवों की समिति" मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं0 590, दिनांक 27 अप्रील, 2016 द्वारा पूर्व से गठित है। "सचिवों की समिति" की बैठक दिनांक 8 फरवरी, 2017 में लिये गये निर्णयानुसार जिला पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ उपस्थापित किया जाना है।

वर्तमान में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 4/क्षे0स्था0 (जनगणना)-01/2018-41(4), दिनांक 2 फरवरी, 2022 द्वारा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में दिनांक 30 जून, 2022 तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किए जाने का आदेश संसूचित है।

इस प्रकार पश्चिम चम्पारण के योगापट्टी, सिकटा तथा वाल्मिकीनगर को अनुमंडल बनाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।

सजा दिलाना

*2752. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 (खजौली)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली थाना क्षेत्र के दतुआर पंचायत के उप-मुखिया सोनू कुमार सिंह की मृत्यु के पश्चात् दिनांक 11 फरवरी, 2022 को जयनगर एस०एस०बी० कैम्प के निकट लाश बरामद हुआ, इस संदर्भ में जयनगर थाना कांड संख्या 3/2022 यू०डी० अंकित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त लाश को पोस्टमार्टम कराया गया है परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त घटना की सही एवं निष्पक्ष जाँच कराकर दोषियों को सजा दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

हवाई जहाज का परिचालन कराना

*2753. मो० आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला में हवाई अड्डा का निर्माण 5 वर्ष से काफी धीमी गति से हो रहा है, जिसके कारण इस जिला में हवाई जहाज के परिचालन में काफी विलम्ब हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जिला में हवाई अड्डा का निर्माण कबतक पूरा कर हवाई जहाज का परिचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। पूर्णियाँ सैन्य हवाई अड्डा पर सिविल इन्क्लेव का निर्माण एवं संयुक्त परिचालन हेतु 50 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। 50 एकड़ भूमि के अधिग्रहण पर होने वाले व्यय की कुल राशि 20,25,21,725 (बीस करोड़ पचीस लाख इक्कीस हजार सात सौ पचीस रुपये) मात्र जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ को दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 को हस्तगत करा दिया गया है।

भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन है। जमीन अधिग्रहण के मामले में राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय से शीघ्र निर्णय के लिये प्रयासरत है। तत्पश्चात् भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा एवं परिचालन शुरू किया जा सकेगा।

कब्रिस्तान का घेराबंदी

*2754. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह प्रखंड के बनतारा पंचायत के ग्राम गोविंद बिगहा तथा चापुक पंचायत के ग्राम चापुक में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण आवारा पशु घूमते रहते हैं यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान का घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*2755. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया प्रखण्ड के ग्राम फरीदपुरा में श्रीरामजानकी मठिया एवं ग्राम गवन्द्री पूर्वी टोला श्रीरामजानकी मठिया लगभग 100 वर्षों से अधिक पुराना होने के कारण उक्त मंदिर एवं चाहरदीवारी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मंदिर का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त अतिथिगृह भवन का निर्माण

*2756. श्री संजय कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-30 बेलसंड)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत शिवहर में अवस्थित अतिथिगृह में सात कमरे हैं, जिसके कारण अतिथिगणों को ठहरने में काफी कठिनाई होती है, जबकि सरकारी भूमि भी उपलब्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार एक अतिरिक्त अतिथिगृह भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान का घेराबंदी

*2757. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज प्रखंड अन्तर्गत पिछला पंचायत के बरारों कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु टेंडर हो चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कब्रिस्तान की घेराबंदी स्थानीय लोगों द्वारा होने नहीं दिया जा रहा है और इस पर अवैध कब्जा स्थानीय लोगों द्वारा किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*2758. श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सत्र 2016-17, 2017-18, 2018-19, एवं 2019-20 में नरकटियागंज एवं मंझौलिया चीनी मिलों द्वारा कच्ची सड़क, पुल पुलिया के टूटे अप्रोच की मरम्मती या छोटे निर्माण संबंधी कोई भी कार्य क्षेत्रीय विकास परिषद् की राशि से नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो उक्त चीनी मिलों के क्षेत्रों के किसानों के हित के लिये बनी क्षेत्रीय विकास परिषद् की राशि नहीं खर्च करने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय सत्र 2016-17 एवं 2017-18 में नरकटियागंज क्षेत्रीय विकास परिषद् की बैठक अपरिहार्य कारणवश नहीं हो पायी। वित्तीय सत्र 2018-19 में नरकटियागंज क्षेत्रीय विकास परिषद् की बैठक के पश्चात् नरकटियागंज चीनी मिल को कार्यादेश निर्गत किया गया एवं दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 को अग्रिम दे दिया गया। परन्तु नरकटियागंज चीनी मिल द्वारा उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं कराया गया तथा दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 को नरकटियागंज चीनी मिल द्वारा RTGS के माध्यम से दोनों योजनाओं का अग्रिम वापस कर दिया गया।

वित्तीय सत्र 2019-20 में नरकटियागंज क्षेत्रीय विकास परिषद् की बैठक कोविड-19 के कारण नहीं हो पायी।

वित्तीय सत्र 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में मंझौलिया क्षेत्रीय विकास परिषद् की बैठक अपरिहार्य कारणों से नहीं हो पायी। जिसके कारण क्षेत्रीय विकास परिषद् की राशि खर्च नहीं हो पायी । उल्लेखनीय है कि इसी समय में कोविड-19 का भी प्रकोप था। क्षेत्रीय विकास परिषद् नरकटियागंज एवं मंझौलिया की आगामी बैठक आहूत करने की कार्रवाई की जा रही है। जिसकी अनुशंसा पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

घेराबंदी कराना

*2759. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह प्रखंड के पंचायत उपहारा के बैजलपुर गांव में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से जानवर कब्रिस्तान पर घूमते हैं और आस-पास से लोग कब्रिस्तान के जमीन पर कब्जा कर खेती कर रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बैजलपुर स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*2760. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत अजीमाबाद थाना कांड संख्या 50/21 अंतर्गत नेमुलाल राम हत्याकांड के मुख्य अभियुक्तों के बदले पुलिस ने न्याय के लिये प्रतिवाद करने वाले सुनील पासवान और अन्य का एफ़०आई०आर० में नाम दर्ज कर दिया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं पीड़ित परिवार को मुआवजा और न्याय दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*2761. श्री अली अशरफ सिद्दिकी (क्षेत्र संख्या-158 नाथनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के सबौर प्रखंड सरधो पंचायत ग्राम-इब्राहिमपुर तथा जगदीशपुर प्रखंड के अंतर्गत बैजानी पंचायत के ग्राम-दोगछी में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण कब्रिस्तान अतिक्रमित हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक का शाखा खोलना

*2762. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला किशनगंज के बहादुरगंज से टेढ़ागाछ के बीच 30 कि०मी० के अन्तराल में एक भी बैंक नहीं है जिस कारण एक बड़ी आबादी को बैंकिंग सुविधा नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार लौचा जनता हाट अथवा मटियारी हाट में बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज से टेढ़ागाछ के बीच निम्नांकित बैंक शाखा/ग्राहक सेवा केन्द्र अवस्थित है-

(i) टेढ़ागाछ में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की टेढ़ागाछ शाखा अवस्थित है । मटियारी हाट से 5 कि०मी० की दूरी पर दहीभात में पंजाब नेशनल बैंक तथा 8 कि०मी० की दूरी पर सोमेश्वर हाट में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा कार्यरत है ।

(ii) लौचा हाट तथा मटियारी दोनों स्थानों पर भारतीय स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केन्द्र कार्यरत है ।

(iii) इनके अलावा लौचा हाट के निकटवर्ती स्थानों पर भारतीय स्टेट बैंक के 4 ग्राहक सेवा केन्द्र तथा मटियारी हाट के निकटवर्ती स्थानों पर भारतीय स्टेट बैंक के 4 एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 1 ग्राहक केन्द्र भी कार्यरत है ।

इस प्रकार से लौचा हाट तथा मटियारी हाट के लोगों को बैंकिंग उपलब्ध करायी जा रही है । बैंक शाखा/आउटलेट खोलने का निर्णय बैंकों के द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर लिया जाता है ।

कार्रवाई करना

*2763. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया समाहरणालय में विगत् 22 वर्षों से कार्यरत कार्यालय अधीक्षक, प्रधान लिपिक, उच्चवर्गीय लिपिक, निम्नवर्गीय लिपिकों के पद पर प्रोन्नति नहीं दी गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त समाहरणालय द्वारा स्वीकृत पद के ज्ञात हुये बिना अनुकम्पा अथवा अन्य स्रोतों से नियुक्ति कर वेतनादि की निकासी कर वित्तीय अनियमितता बरती जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त समाहरणालय में संवर्गवार रिक्त पदों का निर्धारण कर पदस्थापित कर्मियों को रिक्त पदों पर प्रोन्नति हेतु कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2764. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०जा०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत बौलिया पंचायत के कनचिरा कब्रिस्तान की घेराबंदी अबतक नहीं हो पाई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी० को पूर्ण थाना का दर्जा देना

*2765. श्री बच्चा पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-110 बडहरिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत सराय ओ०पी० की स्थापना नगर थाना एवं पंचरूखी थाना का कुछ हिस्सा काट कर वर्ष 2002 में किया गया था जिसे आजतक पूर्ण थाना का दर्जा नहीं मिला है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011 में सराय ओ०पी० को भवन के लिये भूमि का आवंटन चांप ढाला के पास हुआ था, परंतु आजतक भवन का निर्माण नहीं हुआ ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सराय ओ०पी० के भवन निर्माण के साथ-साथ सराय ओ०पी० को पूर्ण थाना देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रोसड़ा को जिला बनाना

*2766. श्री बीरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-139 रोसडा (अ०जा०))--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के रोसड़ा अनुमंडल को पूर्व में 1994 में जिला का दर्जा दिया गया था और इसके उद्घाटन की तैयारी की गयी थी, लेकिन किसी कारणवश उद्घाटन नहीं हो पाया था, जबकि यह जिला बनने का पूर्ण अर्हता रखता है, यदि हाँ, तो सरकार रोसड़ा को कबतक जिला बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ? ;

भत्ता देना

*2767. श्री चेतन आनंद (क्षेत्र संख्या-22 शिवहर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या 315/2020-सह-बिहार पुलिस मुख्यालय (स्थापना एवं विधि विभाग) का पत्र संख्या एल-2/52-24-03/2020/58, दिनांक 18 मई, 2020 को राज्य के सभी जिलों में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को अपने गृह जिला को छोड़कर कोई पाँच ऐच्छिक जिला में पदस्थापना हेतु प्रत्येक जिलों में आवेदन किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार पुलिस में कार्यरत सिपाही/हवलदार संवर्ग कर्मियों को उनके पदस्थापना जिला/इकाई में निर्धारित मुख्यालय से आठ किलो मीटर से अत्यधिक दूरी पर कर्तव्य हेतु उन्हें यात्रा/विश्राम भत्ता दिये जाने का प्रावधान है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी जिलों में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को अपने गृह जिला को छोड़कर कोई पाँच ऐच्छिक जिला में पदस्थापना देने एवं यात्रा/विश्राम भत्ता देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगाना

*2768. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला में आम का बगीचा किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर सार्वधिक भू-खंडों में लगाया गया है लेकिन आम आधारित फुड प्रोसेसिंग उद्योग नहीं रहने के कारण यहाँ के किसान आम व्यापारियों को अपनी फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता है तथा उक्त क्षेत्र के किसान/व्यापारी पके आम औने-पौने भाव में दूर-दराज के बाजार में बेचने के लिये विवश हैं, यदि हाँ, तो सरकार सुपौल जिला में आम आधारित फुड प्रोसेसिंग उद्योग कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास सुपुर्द कराना

*2769. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के मोरवा विधान सभा क्षेत्र के ताजपुर प्रखंड में विगत चार वर्ष में हरिशंकरपुर बघौनी में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कार्य सम्पन्न हो चुका है, जो अब ताजपुर नगर परिषद् के अधीन है ;

(2) परन्तु छात्रावास अल्पसंख्यक बच्चों को सुपुर्द नहीं किये जाने के फलस्वरूप इसका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है एवं उक्त समुदाय के बच्चों को कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि हाँ, तो सरकार लापरवाही बरतने वाले दोषी पदाधिकारियों को दंडित करते हुये बच्चों को छात्रावास कबतक सुपुर्द करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' के अन्तर्गत समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड में छात्रावास का निर्माण कर वर्ष 2019 में प्रभारी प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, ताजपुर, समस्तीपुर को हस्तांतरित किया जा चुका है । मार्च, 2020 से जनवरी, 2022 तक कोरोना महामारी के कारण छात्रावास का संचालन नहीं हो सका । अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रावास संचालन हेतु कार्रवाई की जायेगी ।

(3) उपर्युक्त खंड (2) स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

घेराबंदी कराना

*2770. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत गढ़पुरा प्रखंड के गढ़पुरा और मालीपुर ग्राम स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी अभीतक नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगाना

*2771. श्रीमती बीमा भारती (क्षेत्र संख्या-60 रूपौली)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत रूपौली विधान सभा क्षेत्र में मक्का एवं केला का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होती है, किन्तु मक्का एवं केला आधारित उद्योग नहीं लगने से यहाँ के किसानों एवं मजदूरों को समुचित लाभ नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त क्षेत्र में मक्का एवं केला आधारित उद्योग कबतक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार

*2772. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत केवटी प्रखंड के केवटी थाना भवन और पुलिसकर्मियों का आवासीय भवन जर्जर हो चुका है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जर्जर भवन का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्यालय भवन का निर्माण

*2773. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिले के काराकाट विधान सभा अन्तर्गत बिक्रमगंज अनुमंडलीय कार्यालय अवस्थित है परंतु अपना भवन नहीं होने के कारण व्यापार मंडल एवं केन यूनियन के भवन में अस्थायी तौर पर संचालित हो रहा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्थायी बिक्रमगंज अनुमंडलीय कार्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक 282, दिनांक 7 मार्च, 2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिक्रमगंज अनुमंडल के कार्यालय एवं आवासीय परिसर के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध हो गया है । बिक्रमगंज अनुमंडल के कार्यालय एवं आवासीय परिसर के भवन निर्माण हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सासाराम से जिला पदाधिकारी का पत्रांक 281, दिनांक 7 मार्च, 2022 द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की माँग की गई है ।

ओ0 पी0 के भवन का निर्माण

*2774. श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिद्धि (अ0 जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत तुरकौलिया प्रखंड स्थित रघुनाथपुर ओ0 पी0 एक निजी मकान में संचालित है जबकि रघुनाथपुर में सरकारी जमीन उपलब्ध है जिसका खाता नं0 212, खेसरा नं0 189 है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सरकारी भूमि पर कबतक ओ0 पी0 के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल बनाना

*2775. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत मशरख, ईशुआपुर, तरैया एवं पानापुर प्रखंड को मिलाकर मशरख, अनुमंडल बनने के सभी मापदंडों को पूरा करता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार मशरख को अनुमंडल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं0 223, दिनांक 12 फरवरी, 2021 द्वारा राज्य में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन हेतु मंत्रियों के समूह उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित है एवं पुनर्गठन के संबंध में लम्बित प्रस्तावों की समीक्षा कर उसे मंत्रियों के समूह के समक्ष रखने हेतु सचिवों की समिति मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं0 590, दिनांक 27 अप्रील, 2016 द्वारा पूर्व से गठित है । सचिवों की समिति की बैठक दिनांक 08 फरवरी, 2017 में लिये गये निर्णयानुसार जिला पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ उपस्थापित किया जाना है।

वर्तमान में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या-4/क्षे0स्था0 (जनगणना)-01/2018-41(4), दिनांक 02 फरवरी, 2022 द्वारा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में दिनांक 30 जून, 2022 तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किए जाने का आदेश संसूचित है ।

इस प्रकार सारण जिला के मशरख को अनुमंडल बनाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।

पुलिस थाना की स्थापना करना

*2776. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखण्ड के ग्राम पंचायत एरकीकला जो जी0टी0 रोड पर है, पुलिस थाना नहीं होने से लूट और चोरी की घटना रहती है, जिससे आम नागरिक खौफ में रहते हैं, यदि हाँ, तो सरकार एरकीकला शीवगंज में पुलिस थाना की स्थापना कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शाखा खोलना

*2777. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत मांझा प्रखण्ड के मधुसरेया में वर्ष 2017 में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा खोलने हेतु आदेश दिया गया था, किन्तु अभीतक कोई व्यावसायिक बैंक की शाखा नहीं खुला है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थल पर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

<u>प्रभारी मंत्री</u>--भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) के अंतर्गत रखा गया है, जिसके कारण सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शाखा का विस्तार नहीं किया जा सकता है।

इथेनॉल प्लांट लगवाना

*2778. <u>श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)</u>--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के योगापट्टी प्रखंड के लगभग 70 प्रतिशत भूमि में गन्ना की खेती की जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि योगापट्टी में कोई भी उद्योग अभीतक नहीं लग सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में इथेनॉल प्लांट लगवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

<u>प्रभारी मंत्री</u>--(1) यह प्रश्न कृषि विभाग, बिहार, पटना से संबंधित है।

(2) अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत पश्चिम चम्पारण जिला के योगापट्टी प्रखंड में खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के अन्तर्गत राईस मिल की एक इकाई को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दिया गया है तथा इकाई कार्यरत है।

(3) आँशिक स्वीकारात्मक । राज्य सरकार के द्वारा स्वयं कोई इकाई की स्थापना नहीं की जाती है। इथेनॉल प्लांट की स्थापना हेतु इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 लागू है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत इथेनॉल उत्पादन को उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र में रखा गया है और निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अन्तर्गत पश्चिम चम्पारण जिला में अबतक कुल 04 इथेनॉल प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव पर राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) द्वारा स्टेज-1 क्लियरेंस (सैद्धांतिक सहमति) दिया जा चुका है।

खादी मॉल बनवाना

*2779. <u>श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)</u>--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत मुंगेर शहर के गांधी चौक पर खादी ग्राम उद्योग का 6 कट्ठा जमीन खाली पड़ा है, यदि हाँ, तो सरकारर उक्त जमीन पर खादी मॉल कबतक बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

<u>प्रभारी मंत्री</u>--वर्तमान में मुंगेर जिला में खादी मॉल खोलने का प्रस्ताव सरकार में विचाराधीन नहीं है।

उल्लेखनीय है कि पटना में सरकार ने खादी मॉल बनाया है जो कार्यरत है एवं मुजफ्फरपुर तथा पूर्णियाँ जिलों में खादी मॉल स्वीकृत किये गये हैं।

थाना की स्थापना कराना

*2780. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बैकुण्ठपुर प्रखंड के राजापट्टी में पुलिस ओ०पी० नहीं रहने से राजापट्टी के दो मुख्य मार्ग सतरघाट एवं बगराघाट में आये दिन हत्या, डकैती तथा लूट में बेतहाशा वृद्धि हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार राजापट्टी में स्थायी थाना की स्थापना कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी करवाना

*2781. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के कलेर प्रखण्ड अन्तर्गत सोहसा पंचायत के सोहसा में कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गयी है लेकिन पश्चिम एवं उत्तर तरफ की चहारदीवारी जर्जर है तथा पुराकोठी (कलेर) कब्रिस्तान समेत जिला के दर्जनों कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार सोहसा कब्रिस्तान के चहारदीवारी की मरम्मती एवं पुराकोठी कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*2782. श्री कृष्ण कुमार ऋषि (क्षेत्र संख्या-59 बनमनखी (अ०जा०))--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के बनमनखी में बियाडा की 119 एकड़ जमीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन की घेराबंदी नहीं होने से स्थानीय लोगों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा कर खेती-बाड़ी की जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जमीन की मापी कराकर घेराबंदी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्कूल एवं छात्रावास बनाना

*2783. श्री नरेन्द्र नारायण यादव (क्षेत्र संख्या-70 आलमनगर)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला मधेपुरा में 10+2 अल्पसंख्यक स्कूल एवं छात्रावास की स्वीकृति वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा की गयी है लेकिन आजतक निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्कूल एवं छात्रावास का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है। मधेपुरा जिलान्तर्गत दो अल्पसंख्यक बालक छात्रावास एवं एक अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास निर्मित एवं संचालित है।

अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित की जा रही है। भूमि उपलब्ध होने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

बज्जिका भाषा अकादमी का गठन करना

*2784. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, पूर्वी एवं पश्चिमी चम्पारण तथा सारण के कुछ हिस्सों में प्राचीन लिच्छवि गणराज्य के समय से बोली जाने वाली मातृभाषा ''बज्जिका'' है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं यथा भोजपुरी, बंगला, मगही तथा मैथिली भाषा के विकास हेतु अकादमी का गठन किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ''बज्जिका'' भाषा के विकास के लिये भी ''बज्जिका'' भाषा अकादमी का गठन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2785. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभागीय नियमानुसार सिपाही एवं हवलदार रैंक तक कर्मियों पर कार्रवाई करने या सेवा से बर्खास्त करने का अधिकार एस०पी० रैंक के अधिकारी को है तथा जमादार और सब-इंस्पेक्टर तथा इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का अधिकार डी०जी०पी० को होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के पुलिसकर्मियों, दारोगा एवं इन्सपेक्टर स्तर तक के एक हजार से अधिक अधिकारियों पर विभागीय एवं अन्य तरह के आरोप पर कार्रवाई विगत एक वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पुलिस कर्मी एवं पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई का निपटारा कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*2786. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत प्रखंड बाजपट्टी के ग्राम-मुरलीयाडीह वार्ड नं० 14 एवं ग्राम-बसहा के कब्रिस्तान की घेराबंदी अभीतक नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था कराना

*2787. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिले के फारबिसगंज विधान सभा के आदर्श थाना-फारबिसगंज, थाना-जोगबनी, थाना-सिमराहा, थाना-बथनाहा में महिला पुलिसकर्मियों के लिये आवास, शौचालय एवं स्नानाघर की व्यवस्था नहीं है, जिससे महिला पुलिस कर्मी को काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक ऊपर वर्णित थानों में आवास, शौचालय एवं स्नानाघर की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गिरफ्तार करना

*2788. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला महिला थाना कांड संख्या 66/19, दिनांक 28 अक्टूबर, 2019 में अभियुक्त की गिरफ्तारी अभीतक नहीं हुई है और अभियुक्त खुलेआम घूम रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कांड के अभियुक्त को कबतक गिरफ्तार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2789. श्री कृष्ण कुमार मंटू (क्षेत्र संख्या-120 अमनौर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत मकेर प्रखंड में जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की मौत दो माह पूर्व हो गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कांड के डेढ़ माह बाद पुलिस अधीक्षक, सारण ने मकेर थानान्तर्गत जगदीशपुर जनता बाजार में स्प्रीट से मिलावटी शराब बनाने का कारखाने का उद्‌भेदन किया तथा तत्कालीन थानाध्यक्ष, मकेर को उसमें संलिप्त पाया था ;

(3) क्या यह बात सही है कि तत्कालीन थानाध्यक्ष, मकेर ने शराब माफियाओं से सांठ-गांठ कर परिजनों के नाम अकूत बेनामी सम्पत्ति अर्जित की है जिसकी अबतक जाँच नहीं कराई गई है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त संलिप्त पदाधिकारियों की आय एवं सम्पत्ति की जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगवाना

*2790. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण में गन्ना की खेती बहुतायत से होती है परंतु चीनी मिल उपलब्ध नहीं रहने के कारण यहां के गन्ना किसान गोपालगंज की चीनी मिल पर आश्रित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि गुड़ एवं खंडसरी उद्योग के रूप में पूर्वी चंपारण जिला को विकसित करने हेतु एक वर्ष से विभाग से मांग की जा रही है परंतु अभीतक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पूर्वी चंपारण जिला में गुड़ एवं खंडसरी उद्योग कबतक लगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण के गन्ने की सामयिक खपत मझौलिया, सुगौली, सिधवलिया एवं गोपालगंज (विष्णु चीनी मिल) द्वारा किया जाता है।

(2) उत्तर अस्वीकरात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सम्पूर्ण बिहार राज्य में गुड़ एवं खाण्डसारी उद्योग को विकसित करने हेतु "बिहार गुड़ उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति" तैयार की गयी है, जिसपर मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाधीन है।

(3) राज्य सरकार द्वारा गुड़ एवं खांडसारी उद्योग स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। यदि कोई निवेशक गुड़ एवं खांडसारी उद्योग स्थापित करने हेतु निवेश करेंगे तो सरकार द्वारा उन्हें नियमानुसार आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

कार्रवाई कराना

*2791. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, निर्वाचन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विगत् पंचायत चुनाव 2021 की मतदाता सूची में पश्चिम चम्पारण

जिले के मैनाटांड प्रखंड के लक्ष्मीपुर पंचायत के भेड़िहारी गांव के भाग 193, 194, 195 में 40 मतदाताओं के नाम दो-दो जगह हैं और उसी मतदाता सूची में 13 वर्ष से 18 वर्ष के लगभग 200 बच्चों का नाम जुड़ा है जिन्होंने विगत् वर्ष पंचायत चुनाव 2021 में मतदान किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त लक्ष्मीपुर पंचायत के ही मतदाता सूची में 25 मतदाता बगल के सगरौआ-महुआवा पंचायत के जोड़े गये हैं, जिन्होंने विगत् वर्ष पंचायत चुनाव 2021 में मतदान किया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार फर्जी मतदाता सूची बनाने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आवासीय विद्यालय का निर्माण कराना

*2792. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा वक्फ की जमीन पर प्रत्येक जिला में इंटर के अल्पसंख्यक छात्रों के लिये आवासीय विद्यालय निर्माण कराने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला में अभीतक अल्पसंख्यक आवसीय विद्यालय का निर्माण नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक पूर्णियाँ जिला में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक है । अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में वर्ग 09 से 12 तक के अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिये है एवं उपर्युक्त सरकारी/वक्फ/ दानित भूमि आदि पर निर्माण पर किया जा सकता है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) पूर्णियाँ जिला में वक्फ भूमि पर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदान की जा चुकी है । माननीय बिहार वक्फ न्यायाधिकरण, पटना द्वारा Misc Case No. 16/2021 में दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 को पारित यथास्थिति बनाये रखने के आदेश के अनुपालन में निर्माण कार्य रोक दिया गया है । उक्त वाद में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम आदेश पारित किये जाने के उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

भवन निर्माण कराना

*2793. श्री शमीम अहमद (क्षेत्र संख्या-12 नरकटिया)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के छौड़ादानों प्रखंड अन्तर्गत जीतपुर पंचायत के ग्राम-हरदिया अल्पसंख्यक बहुल इलाका है किन्तु उक्त गांव में अल्पसंख्यकों के लिये सामाजिक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं रहने के कारण शादी समारोह एवं अन्य कार्यक्रमों में काफी कठिनाई होती है जबकि उक्त ग्राम में सरकारी भूमि भी उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्राम में अल्पसंख्यक हेतु सामाजिक स्तर पर भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक । अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री जन-विकास कार्यक्रम के तहत सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों के उद्देश्य हेतु अल्पसंख्यक बाहुल्य प्रखंड में सद्भाव मंडप का भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है । मंत्रालय के निदेशानुसार प्रधानमंत्री जन-विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सद्भाव मण्डप का निर्माण प्रखंड मुख्यालय में ही कराया जाना है । पूर्वी चम्पारण जिला के छौड़ादानों प्रखंड में सद्भाव-मण्डप निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । प्रधान मंत्री जनविकास कार्यक्रम के तहत ग्राम स्तर अथवा पंचायत स्तर पर सद्भाव मंडप का भवन निर्माण की वर्तमान में कोई योजना नहीं है ।

निरस्त कराना

*2794. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ0जा0))--क्या मंत्री, निगरानी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का गजट में प्रकाशन नहीं किया गया है तथा इसमें कार्य निष्पादन हेतु कोई गाइड लाइन नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर क्रिमिनल अपील (SJ) नम्बर 459/2011 में गाइड लाइन बनाने का आदेश पारित है, जिसकी सम्पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली ने एस0एल0पी0 (सी0आर0आई0), डायरी नम्बर 42108/2018 के द्वारा भी किया गया है, उक्त न्यायादेश के आलोक में अबतक कोई गाइड लाइन नहीं बनी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार निगरानी अन्वेषण ब्यूरों में कार्य निष्पादन हेतु गाइड लाइन बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*2795. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत डंडखोरा प्रखंड के मगुरजान तथा डंडखोरा कब्रिस्तान के परिसर की घेराबंदी नहीं की गई है जिसके कारण उक्त कब्रिस्तानों पशुओं का चारागाह बना हुआ है तथा अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*2796. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के प्रखंड इटाढ़ी के पंचायत अतरौना के ग्राम-भितिहिरा में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है जिसके कारण लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुये कबतक घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई

*2797. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभुतिपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण के राजेपुर थाना कांड संख्या 51/21, दिनांक 10 अप्रील, 2021 को रघुनाथ भगत हत्या मामले में चश्मदीद तेतरी देवी एवं श्री रंजीत भगत (पति-पत्नी) ने 9 अभियुक्तों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया, जिसमें श्री राजमंगल प्रसाद का नाम नहीं है, जबकि रंजीत भगत द्वारा दिनांक 22 अप्रील, 2021 को मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना में ब्यान दर्ज कराया, जिसमें 16 नामित और 20-25 अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कराया, जिसमें श्री राजमंगल प्रसाद को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त हत्याकांड की निष्पक्ष जाँच कराने एवं दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

इथनॉल प्लांट लगाना

*2798. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने दिसम्बर, 2021 में ही राज्य के सभी जिलों में इथनॉल प्लांट लगाये जाने का निर्णय लिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के जमालपुर में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) एवं दूसरे विभाग की खाली जमीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त निर्णय के आलोक में मुंगेर के जमालपुर, बियाडा खाली जमीन पर इथनॉल प्लांट कबतक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*2799. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत 28 करोड़ 50 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है परंतु अभीतक वित्तीय उपलब्धि शून्य है, यदि हाँ, तो राशि उपलब्ध रहने के बावजूद खर्च नहीं करने का औचित्य क्या है ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत कुल 1,313.00 लाख रुपया स्वीकृत/आवंटित है, के विरुद्ध कुल 387.44 लाख रुपया व्यय हुआ ।

वर्ष 2021-22 के तहत इस योजना में 28.50 करोड़ रुपया का बजट प्रावधान किया गया । इसमें अभीतक 9.68 करोड़ रुपया व्यय प्रतिवेदित है ।

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2800. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखंड के शिवानन्दपुर पंचायत के जाताहर गाँव के कब्रिस्तान के उत्तर और दक्षिण से होकर सड़क होने के कारण सड़कों से गुजरने वाले अवांछित पशुओं द्वारा कब्रिस्तान की बेहुरमती होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छुट्टी अनुमान्यता प्रतिवेदन के संबंध में

'क'-*2801. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राजपत्रित कर्मियों को प्रशासी विभाग द्वारा छुट्टी अनुमान्यता प्रतिवेदन क्रमशः महालेखाकार अथवा वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग से प्राप्त होने पर किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राजपत्रित कर्मियों की छुट्टी स्वीकृति के लिये हर बार छुट्टी अनुमान्यता प्रतिवेदन मंगवाना पड़ता है जिसमें अनेक कागज एवं समय की बर्बादी होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छुट्टी अनुमान्यता प्रतिवेदन महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग से प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को मंगाकर उसकी अनुमान्यता एक वर्ष तक कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार सेवा संहिता के भाग 2, परिशिष्ट-9 के नियम 2(क) एवं नियम 18 के आलोक में उपार्जित अवकाश में जाने के पूर्व या उपरान्त संबंधित पदाधिकारी या उनके सक्षम प्राधिकार द्वारा अवकाश आदेयता की माँग कोषांग से की जाती है । कोषांग द्वारा प्रेषित आदेयता के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा अवकाश की स्वीकृति दी जाती है । अवकाश स्वीकृति के उपरान्त कोषांग द्वारा अवकाश अवधि का वेतन पुर्जा निर्गत किया जाता है ।

(3) यह नीतिगत मामला है । वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

उल्लेखनीय है कि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 1164, दिनांक 17 फरवरी, 2022 द्वारा दिनांक 1 अप्रील, 2022 से मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) लागू करने की कार्रवाई प्रस्तावित है । HRMS पूर्ण रूप से लागू होने के उपरान्त राज्य सरकार के सभी कर्मियों के लिये उनका सेवा अभिलेख, वेतन पर्ची, अवकाश, स्थानान्तरण, सेवानिवृत्ति एवं अन्य लाभ हेतु HRMS के माध्यम से समेकित रूप से कार्रवाई की जा सकेगी ।

नोट--'क'-सामान्य प्रशासन विभाग से वित्त विभाग को स्थानान्तरित ।

बकाए का भुगतान कराना

*2802. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के पिपरा विधान सभा क्षेत्र के चकिया स्थित चम्पारण चीनी मिल 1995 से बंद पड़ी है एवं इस चीनी मील पर किसानों एवं मजदूरों का करोड़ों रुपये बकाया है जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक किसानों एवं मजदूरों के बकाए का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आँशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चकिया चीनी मिल केन्द्रीय कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन BIC ग्रुप की इकाई थी, जो रूग्ण होकर बंद हो गयी। औद्योगिक एवं पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) की सिफारिश पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा परिसमापन के आदेश जारी किया गया। जिसके फलस्वरूप नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से इस इकाई को उच्चतम बोलीदाता द्वारा वर्ष 2008 में खरीदा गया। वर्तमान में इस इकाई का मामला माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लंबित है।

थाना का स्थानांतरण

*2803. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला अंतर्गत दुर्गावती थाना के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन 5 वर्ष पूर्व हो गया है, परंतु थाना का स्थानांतरण अभीतक नये भवन में नहीं हुआ है और पुराने जर्जर तथा असुरक्षित भवन में थाना का संचालन हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार दुर्गावती स्थित पुराने जर्जर और असुरक्षित भवन में संचालित हो रहे थाना का स्थानांतरण कबतक नवनिर्मित थाना में कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियोजन करना

'ख'-*2804. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेल्ट्रोन द्वारा डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के नियोजन हेतु पैनल तैयार किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के अधिकांश कार्यालयों में डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के पद रिक्त होने के बावजूद पैनल के आधार पर नियोजन नहीं की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकरात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों को पैनल के आधार पर शीघ्र नियोजन करने एवं कार्यरत ऑपरेटरों को नियमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सातवां वेतन पुनरीक्षण लागू कराना

*2805. श्री राजवंशी महतो (क्षेत्र संख्या-141 चेरिया बरियारपुर)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीडब्लयूजेसी नं0 8419/1992 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में बिहार सरकार वित्त विभाग के संकल्प संख्या 462/वि0, दिनांक 13 फरवरी, 1995 के द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 1986 को स्वीकृत संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान 1600-2780 रुपया स्वीकृत किया गया है एवं वेतनमान से संबंध पदों को पर्यवेक्षकीय पद घोषित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सातवां पुनरीक्षित वेतनमान के आलोक में विभिन्न विभागों में कार्यरत पर्यवेक्षकीय श्रेणी के पदों को विभिन्न चरणों में वेतन लेवल-7 दिया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि कृषि विभाग में कार्यरत सांख्यिकीय सहायकों का सातवां वेतन पुनरीक्षण के आलोक में वेतन लेवल-6 दिया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक सांख्यिकीय सहायकों को सातवां वेतन पुनरीक्षण के आलोक में वेतन लेवल-7 देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'ख'-सामान्य प्रशासन विभाग से सूचना प्रावैधिकी विभाग में स्थानांतरित ।

ऋण का भुगतान

*2806. श्री संजय कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-30 बेलसंड)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत रीगा चीनी मिल पिछले 2 वर्षों से बन्द है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त चीनी मिल के क्षेत्राधीन सीतामढ़ी और शिवहर जिले के लगभग 40 हजार किसानों के नाम पर किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा फर्जीवाड़ा कर लगभग 4 करोड़ रुपया बैंक से लेकर किसानों को भुगतान नहीं कराया गया है जिससे उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रीगा चीनी मिल के प्रबंधकों की सम्पत्ति जप्त कर उसे नीलाम करके किसानों के केसीसी ऋण का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। रीगा मिल प्रबंधन द्वारा किसानों के साथ किये गये KCC लोन लिमिट एवं सरकार से धोखाधड़ी करने के आरोप में रीगा थाना कांड संख्या 244/20, दिनांक 18 अगस्त, 2020 में विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत रीगा चीनी मिल के प्रबन्ध निदेशक/दखलकार, श्री ओम प्रकाश धानुका एवं (2) महाप्रबंधक, श्री राजकुमार पाण्डेय के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया। जिसमें प्रबन्ध निदेशक/दखलकार के विरुद्ध वारन्ट निर्गत किया गया, जिसके विरुद्ध रीगा चीनी मिल प्रबंधन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद (वाद संख्या-Cr.Misc. 7496/2021, ओम प्रकाश धानुका एवं अन्य माननीय बनाम बिहार राज्य) दायर किया गया। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मिल प्रबंधन को सशर्त अंतरिम जमानत का आदेश पारित किया गया है।

वर्तमान में रीगा चीनी मिल के विरुद्ध बकायों की वसूली हेतु NCLT (National Company Law Tribunal), कोलकाता बेंच में मामला प्रक्रियाधीन है, जिससे रीगा चीनी मिल के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई stay हो गया है। NCLT द्वारा श्री नीरज जैन को रीगा चीनी मिल के Assets एवं Liabilities का Valuation करने तथा Disposal हेतु RP (Resolution Professional) नियुक्त किया गया है।

(3) उपरोक्त खण्ड (2) में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

उद्योग लगाना

*2807. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला में एक मात्र उद्योग रीगा चीनी मिल दो साल पहले बन्द हो चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार ने सभी जिला में इथेनॉल बनाने के लिए प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सीतामढ़ी जिला में इथेनॉल के उत्पादन के लिए उद्योग लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2808. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी शहरी क्षेत्रों में सी0 सी0 टी0 वी0 कमैरा चरणबद्ध तरीके से लगाने का निर्णय लिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त निर्णय के आलोक में जमालपुर नगरपालिका क्षेत्र में अबतक सी0 सी0 टी0 वी0 कैमरा लगाए जाने के संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए जमालपुर नगरपालिका क्षेत्र में सी0 सी0 टी0 वी0 कैमरा लगाए जाने की कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सद्भावना मंडप बनाना

*2809. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा सद्भावना मंडप का निर्माण करवाया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शादी-विवाह सहित सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गतिविधियों आदि के लिये इसका उपयोग कर सकते हैं, साथ ही इसका उपयोग सरकारी आयोजनों में भी किया जा सकता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सन्हौला प्रखण्ड मुख्यालय में सद्भावना मंडप नहीं है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सन्हौला प्रखंड मुख्यालय में सद्भावना मंडप बनाने पर विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) अस्वीकारात्मक है।

(4) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' के तहत चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य सन्हौला प्रखण्ड के मुख्यालय में सद्भावना मंडप का स्वीकृति वर्ष 2017 में प्रदान की गयी थी। वर्तमान में सद्भावना मंडप का निर्माण कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित है।

अग्निशामक केन्द्र स्थापना करना

*2810. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखण्ड में सिर्फ प्रखण्ड मुख्यालय कोचाधामन में अग्निशामक केन्द्र है, जिसके कारण इससे दूरस्थ जगहों पर आग लगने पर अग्निशामक यंत्र समय पर नहीं पहुँच पाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्ड के विशनपुर एवं धनपुरा में कबतक अग्निशामक केन्द्र की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रोजगार देना

*2811. श्री उमाकांत सिंह (क्षेत्र संख्या-7 चनपटिया)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत चनपटिया प्रखंड के रानीपुर रमपुरवा पंचायत के ऐतिहासिक धरोहर वृंदावन में आस-पास के गाँवों की महिलायें चरखा चलाकर अपना जीवकोपार्जन करती थी किन्तु सुविधा के अभाव में यह कुटीर उद्योग बंद पड़ा हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत के वृंदावन आश्रम में सन् 1937 में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने चरखा चलाकर स्थानीय लोगों को स्वरोजगार तथा खादी ग्रामोद्योग के प्रति स्थानीय लोगों को जागरूक किया था, किन्तु वर्तमान समय में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा तथा मदद नहीं मिलने के कारण खादी ग्रामोद्योग बंद पड़ा हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ऐतिहासिक धरोहर वृंदावन आश्रम में पुनः खादी ग्रामोद्योग स्थापित कर महिलाओं सहित स्थानीय लोगों को कबतक रोजगार देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशन मनी देना

*2812. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार पुलिस में पुलिसकर्मियों एवं ए०एस०आई०, स्टेनो सहित सभी को राशन मनी दी जाती है, परन्तु लिपिकों को राशन मनी नहीं दी जाती है, यदि हाँ, तो सरकार पुलिस के लिपिकों को कबतक राशन मनी देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी करवाना

*2813. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखंड नीमचक बथानी के ग्राम-कबिरपुर में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्राम के कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2814. मो० आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के मलहारियों पंचायत के देवदा गाँव में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिमा लगाना

*2815. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के मधेपुरा प्रखंडान्तर्गत मनहरा गाँव निवासी शहीद चुल्हाय यादव की हत्या स्वाधीनता आंदोलन के दौरान मधेपुरा अनुमंडल मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहराने के कारण अंग्रेजी सैनिकों द्वारा वर्ष 1943 में कर दी गयी थी, यदि हाँ, तो क्या सरकार अनुमंडल कार्यालय परिसर में अमर सेनानी चुल्हाय यादव की आदमकद प्रतिमा लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अवसर प्रदान करना

*2816. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के अन्तर्गत कनीय अभियंता के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित विज्ञापन संख्या 01/2019 में राज्य के अधीन गैर-सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों से डिप्लोमा उत्तीर्ण पिछड़ी जाति घोषित प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थियों को प्रावधानित 40 प्रतिशत आरक्षण के दायरे से वंचित रखा गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के उक्त निर्णय से प्रदेश के कई पिछड़ी जातियों के गैर-सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों से उत्तीर्ण अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गये है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वैसे पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी जो गैर-सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों से उत्तीर्णता प्राप्त किये हैं, को अवसर प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

संस्था का तकनीकीकरण करना

*2817. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत महफिल-ए-कालीन ओबरा प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड नाम लोक उपक्रम का गठन 1986 ई० में किया गया था जिसके पदेन प्रशासन वर्ष 2001 तक उप-विकास आयुक्त हुआ करते थे ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपक्रम द्वारा हस्तनिर्मित कालीन देश स्तर पर विख्यात रहा है, जो अब नई तकनीकी और बाजार के अभाव में दम तोड़ रहा है जिसके कारण बुनकर बेरोजगार हैं जबकि इसका निरीक्षण मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर, 2011 को किया गया था तथा जीर्णोद्धार का आश्वासन दिया गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस संस्था का तकनीकीकरण कर जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) औरंगाबाद जिलान्तर्गत महफिल-ए-कालीन ओबरा प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि० का गठन 1986 में बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम-1935 के तहत किया गया है । यह एक सहकारी संस्था है जिसका प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रबंधकारिणी द्वारा किया जाता है । निर्वाचित प्रबंधकारिणी की समयावधि 5 (पाँच) वर्षों की होती है । वर्तमान में बुनकर समिति का चुनाव दिनांक 31 जुलाई, 2018 को हुआ है जिसका अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार है । महफिल-ए-कालीन ओबरा प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि० का अध्यक्ष-सह-प्रशासक दिनांक 5 मार्च, 1986 से 27 नवम्बर, 2001 तक उप-विकास आयुक्त, औरंगाबाद हुआ करते थे ।

(2) 1. राज्य सरकार द्वारा बुनकरों को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक सहायता दी जा रही है । वित्तीय देने हेतु आर्थिक सहायता दी जा रही है । वित्तीय वर्ष 2006-07 में उग्रवाद प्रभावित जिला होने के कारण संस्था को राष्ट्रीय सम-विकास योजनान्तर्गत हैण्डलूम, कच्चा माल एवं मरम्मत मद में 30,00,000/ (तीस लाख) रुपये का सहायता उपलब्ध कराया गया था ।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यशील पूँजी की योजना अन्तर्गत ओबरा प्रखंड के कुल 34 बुनकरों को कार्यशील पूँजी के रूप में प्रति बुनकर 10,000/ (दस हजार) रुपये उपलब्ध कराया गया है जिसमें से समिति के 04 (चार) हस्तकरघाधारी बुनकर सदस्य को प्रति बुनकर 10,000/ (दस हजार) रुपये उनके बैंक खाता में उपलब्ध कराया गया है ।

(3) यह समिति राज्य की शीर्ष संस्था दि बिहार स्टेट शीप एण्ड वूल विवर्स को-ऑपरेटिव स्टेट शीप एण्ड वूल विवर्स को-ऑपरेटिव यूनियन लि०, राजवंशीनगर, पटना से संबंध है जिसके माध्यम से उक्त समिति द्वारा व्यवसाय किया जाता है । वर्तमान में उक्त यूनियन में चुनाव प्रक्रियाधीन है । ओबरा प्रखंड के बुनकरों के लिये रु० 30.00 लाख की राशि का एक आउट साइड कलस्टर का प्रस्ताव वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को भेजने हेतु बेस लाइन सर्वे किया गया है ।

संकल्प-पत्र जारी करना

*2818. श्री राजेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-104 हथुआ)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकारी विभागों में डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति बेल्ट्रॉन के माध्यम से की गई है लेकिन उन्हें संविदागत नियुक्ति न मानकर आउटसोर्सिंग (आउटसोर्सिंग) की श्रेणी में रखा जाता है जबकि बिहार विकास मिशन में सेवा देने वाले डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों को संविदात्मक सेवा मानते हुये बेल्ट्रॉन से ही सेवा उपलब्ध करायी गई है, जो विरोधाभाषी है, यदि हाँ, तो सरकार इस विसंगति को दूर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस पिकेट का निर्माण कराना

*2819. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनियाँ (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत मोहनियाँ प्रखंड के मोहनियाँ रामगढ़ पथ पर आपराधिक घटनाएँ बढ़ चुकी हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुलिस पिकेट का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना की स्थापना करना

*2820. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखंड के भदवा पंचायत में पुलिस थाना नहीं होने से बराबर कोई-न-कोई अप्रिय घटना घटित होती रहती है, जिससे आम नागरिक खौफ में रहते हैं, यदि हाँ, तो सरकार भदवा पंचायत में पुलिस थाना की स्थापना कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अन्य प्रभार से मुक्त कराना

*2821. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रधान सचिव-सह-निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के विभागीय ज्ञापांक 21/2016-सो० 52, दिनांक 8 जनवरी, 2021 द्वारा राज्य के सभी जिला पदाधिकारी को जिला में पदस्थापित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को अन्य कार्यों का प्रभार नहीं दिये जाने का निदेश दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिवहर जिला में पदस्थापित अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कुमार विवेकानन्द को जिला प्रबंधक राज्य गोदाम निगम, जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी सहित अन्य समाहर्ता को विशेष कार्य पदाधिकारी पद का प्रभार दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री कुमार विवेकानन्द को लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के अलावे मिले अन्य प्रभार में मुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*2822. श्री बच्चा पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-110 बड़हरिया)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञाप सं० 606, दिनांक 15 सितम्बर, 1997 द्वारा सहायकों को संयुक्त संवर्ग बिहार सचिवालय सेवा के सहायकों/पदाधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन का प्रावधान किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग, परविहन विभाग सहित अन्य विभागों के कार्यरत सहायक प्रोन्नति पाकर प्रशाखा पदाधिकारी/अवर-सचिव के पद पर पदस्थापित है जबकि प्रोन्नति के पद पर पदस्थापित अवधि तीन वर्ष की निर्धारित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त संकल्प के आलोक में सहायकों/पदाधिकारियों के स्थानान्तरण पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति कराना

*2823. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 1990 में दफादार/चौकीदारों को चतुर्थवर्गीय कर्मचारी बनाया गया, वर्ष 1995 में वर्ष 1990 के बाद सेवानिवृत दफादार/चौकीदारों के आश्रितों की बहाली के लिये आदेश निर्गत किया गया था लेकिन समुचित ढंग से अनुपालन नहीं होने से अनेकों आश्रितों की नियुक्ति नहीं हो पायी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2014 के द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत आश्रितों की नियुक्ति की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 1990 से दिनांक 5 मार्च, 2014 तक सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त चौकीदार के आश्रितों की नियुक्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बी०ओ०पी० स्थापित कराना

*2824. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लदनियां प्रखंड के पदमा और योगिया के बीच बी०ओ०पी० स्थापित नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पदमा और योगिक के बीच धौरी नदी के किनारे बी०ओ०पी० के नहीं होने से अक्सर चोरी, डकैती एवं हत्या की वारदात जैसी घटनाएँ घटित होती रहती है तथा किसी भी प्रकार की वारदात एवं कांड के संदर्भ में 10 कि०मी० दूर लदनियां थाना जाना पड़ता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि धौरी नदी से 10 कि०मी० दूरी होने के कारण थाना प्रशासन को उक्त स्थान में पहुँचने में विलम्ब हो जाता है तथा रात्रि गश्ती भी संभव नहीं हो पाता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पदमा और योगिया के बीच बी०ओ०पी० स्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*2825. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के प्रखंड राजपुर के ग्राम-बनी में खाता संख्या 473, प्लॉट नम्बर 826, 1981 में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन पर बाहरी लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना करना

*2826. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ0जा0))--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला अन्तर्गत बखरी एवं मंझौल अनुमंडल तथा फरकिया क्षेत्र में मक्के की अच्छी उपज होने के बाद भी इसके लिये एक भी खाद्य प्रसंस्करण की औद्योगिक इकाई नहीं है जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में मक्का आधरित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के द्वारा स्वयं कोई इकाई की स्थापना नहीं की जाती है । निजी क्षेत्र के निवेशकों के द्वारा यदि इकाई स्थापित की जाती है तो प्रभावी औद्योगिक नीति के प्रावधान के तहत आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है । साथ ही समय-समय पर विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ वार्ता कर नये उद्योगों को लगाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है ।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र को उच्च प्राथमिकता में रखा गया है और निवेश को आकर्षित करने के लिये विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई है ।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत बेगूसराय जिला में प्रारंभ से अबतक मक्का आधारित उद्योग की स्थापना हेतु कुल 14 प्रस्तावों को स्टेज I क्लियरेंस (सैद्धांतिक सहमति) प्रदान की गई है ।

कार्रवाई करना

*2827. श्री नरेन्द्र नारायण यादव (क्षेत्र संख्या-70 आलमनगर)--क्या मंत्री, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला मधेपुरा के अधीन प्रखंड आलमनगर में डाकनी स्थान, खुरहान प्रखंड पुरैनी में कार्तिक मेला, दुर्गापुर प्रखंड-चौसा के अधीन बाबा विशुराउत स्थान मेला, धूमावती स्थान फुलौत, पूर्वी प्रखंड उदाकिशुनगंज के अधीन माता भगवती स्थान, नयानगर में राज्य स्तर का मेला का कार्यक्रम होता है, परन्तु सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा इसे प्रचारित एवं प्रसारित नहीं किया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार इसके लिये आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित है । संबंधित विभाग से अधियाचना/ अनुरोध प्राप्त होने पर सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार कराया जाता है । इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से अधियाचना/अनुरोध प्राप्त होने पर प्रचार-प्रसार हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

कंडिका उपर्युक्त में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है ।

राशि भुगतान करना

*2828. श्री चेतन आनंद (क्षेत्र संख्या-22 शिवहर)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के रीगा चीनी मिल, समस्तीपुर जिला के हसनपुर चीनी मिल, भारत सुगर मिल, सिंधौलिया, गोपालगंज जिला सहित राज्य के अन्य चीनी मिल पर गन्ना ढुलाई का वित्तीय वर्ष 2021-22 का 50 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है, जिसके कारण किसानों को आर्थिक तंगी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त चीनी मिल के किसानों का गन्ना ढुलाई बकाया राशि का भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि रीगा चीनी मिल प्रबंधन द्वारा पेराई सत्र 2020-21 एवं 2021-22 में चीनी मिल का परिचालन नहीं किया गया । जिसके कारण रीगा चीनी मिल परिक्षेत्र में पेराई योग्य गन्ने का सामयिक निष्पादन की समस्या उत्पन्न हो गयी थी । विभाग द्वारा रीगा चीनी मिल परिक्षेत्र के गन्ने का सामयिक निष्पादन हेतु पड़ोस की अन्य चीनी मिलों को गन्ने के उठाव

सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया गया था । इस हेतु परिवहन अनुदान का भी प्रावधान किया गया जिसका वर्षवार भुगतान की गयी परिवहन अनुदान की राशि का विवरण निम्नवत है :--

पेराई सत्र : 2020-21

क्रमांक	मिल का नाम	मात्रा (क्विंटल में)	भुगतान की गयी परिवहन अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	नरकटियागंज	2657.80	281324.00
2	मझौलिया	7977.20	536416.00
3	सिंधवलिया	242164.70	16186690.00
4	गोपालगंज	76781.52	4778449.00
	कुल योग	329581.22	21782879.00 (दो करोड़ सतरह लाख बेरासी हजार आठ सौ उन्नासी रुपये)।

पेराई सत्र : 2021-22

क्रमांक	मिल का नाम	मात्रा (क्विंटल में)	भुगतान की गयी परिवहन अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सुगौली	2351.30	93111.00
2	मझौलिया	77657.97	6087950.00
3	सिंधवलिया	363209.60	27747207.00
4	हसनपुर	15819.59	2064456.00
	कुल योग	459038.46	35992724.00 (तीन करोड़ उनसठ लाख बेरानवे हजार सात सौ चौबीस रुपये)।

घेराबंदी कराना

*2829. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कटिहार 1 को 33 कब्रिस्तानों तथा स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बारसोई 2 को 36 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की प्रशासनिक स्वीकृति जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा पत्रांक जिला पदाधिकारी 448/27 सितम्बर, 2021 के माध्यम से दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सभी कब्रिस्तानों के घेराबंदी करने में 18 करोड़ 54 लाख रुपये का व्यय होगा जिसका आवंटन विभाग द्वारा नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने के लिये राशि आवंटन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पूर्ण थाना का दर्जा दिलाना

*2830. श्री शमीम अहमद (क्षेत्र संख्या-12 नरकटिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के बंजरिया प्रखंड अवस्थित ओ0पी0 खोलने की प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 1984 में मिली थी परंतु ओ0पी0 अभीतक सामुदायिक भवन में ही चल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बंजरिया थाना क्षेत्र में घटना घटित होने पर ग्रामीणों द्वारा आवेदन देने पर उक्त थाना के कर्मीगण आवेदन लेकर एफ0आई0आर0 तुरकौलिया थाना में ही दर्ज करवाते हैं, जबकि बंजरिया ओ0पी0 थाना के लिये सारी अर्हताएँ को पूर्ण करता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ओ0पी0 को पूर्ण थाना का दर्जा प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*2831. श्री अली अशरफ सिद्दिकी (क्षेत्र संख्या-158 नाथनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नाथनगर प्रखंड के ग्राम-गौराचक्की तथा जगदीशपुर प्रखंड के पंचायत पुरैनी, बलुआचक, जमगांव में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण कब्रिस्तान अतिक्रमित हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नौकरी देना

*2832. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0 जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलांतर्गत नारायणपुर थाना के अनुज पासवान हत्याकांड थाना कांड संख्या 15/20 में मृतक की पत्नी का अभी तक पेंशन नहीं शुरू हुआ है तथा आश्रित को नौकरी देने के प्रावधान के बावजूद नौकरी नहीं दी गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सहार थाना कांड संख्या 206/18 में रामाकांत राम हत्याकांड नाढ़ी, भोजपुर में दो अभियुक्तों में से केवल एक की गिरफ्तारी हुई है तथा मुआवजे की दूसरी किस्त एवं आश्रित को नौकरी नहीं दी गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त लंबित पड़े मामलों के निष्पादन एवं उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ट्रैफिक पुलिस तैनात करना

*2833. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत सहार प्रखंड के सहार एवं खैरा बाजार में ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं रहने के कारण सहार के सहार सकड़ी स्टेट हाईवे एवं खैरा में खैरा-नासरीगंज स्टेट हाईवे पर आये दिन बालू लदे ट्रकों की लापरवाही से किसी-न-किसी व्यक्ति को कुचल कर मौत होती है, यदि हाँ, तो सरकार सहार व खैरा में ट्रैफिक पुलिस कबतक तैनात करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

न्याय दिलाना

*2834. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिले के व्यवसायी तथा समाजसेवी रामाश्रय प्रसाद सिंह की हत्या के (थाना-भोरे, जिला-गोपालगंज में दर्ज केस संख्या-205/19) नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और वे खुलेआम घूम रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस केस के गवाह अजय कुशवाहा की भी हत्या दिनांक 17 जनवरी, 2022 (थाना-भोरे, जिला-गोपालगंज, केस संख्या-20/21) को कर दी गयी है और पीड़ित परिवार के लोगों को भी जान से मारने की कोशिश आरोपियों द्वारा की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी करवा कर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

घेराबन्दी कराना

*2835. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड के माधोपुर दिघरूआ पंचायत के वार्ड नं0-4 में कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं की गयी है जिसका खाता संख्या 386, खेसरा नं0 1261, रकवा 01 बीघा 01 कट्ठा 12 धूर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान खुला रहने के कारण असामाजिक तत्वों एवं आवारा पशुओं का आना-जाना लगा रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगाना

*2836. श्री राम चन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-84 हायाघाट)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड मुख्यालय के पास 30 वर्षों से बंद पड़े अशोक पेपर मिल के पास 450 एकड़ जमीन उपलब्ध है, जो बेकार पड़ा हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मिल कर्मियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उक्त जमीन पर चीनी मिल या इथनॉल उद्योग कबतक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी का निर्माण

*2837. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया विधान सभा क्षेत्र अपराधग्रस्त क्षेत्र है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा खगड़िया विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-कोठिया एवं ग्राम-बछौता में अपराध पर नियंत्रण हेतु पुलिस चौकी की स्थापना हेतु एक वर्ष से अनुरोध किया जा रहा है, परन्तु अभी तक पुलिस चौकी की स्थापना नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक ग्राम-कोठिया एवं ग्राम-बछोता में पुलिस चौकी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी खोलना

*2838. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (क्षेत्र संख्या-109 दरौंदा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत प्रखंड दारौंदा के एन0 एच0 531 पर पश्चिमी छोर पर थाना स्थित है, लेकिन दरौंदा के अधिकांश क्षेत्र महाराजगंज प्रखंड में पूरब उत्तर की ओर है, जिसकी दूरी थाना से बहुत ही दूर है, यह क्षेत्र छपरा जिला से भी सटा हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अन्य जिलों से सटे होने एवं नजदीक में थाना नहीं होने के वजह से अपराधी अपराध कर दूसरे जिलों में प्रवेश कर जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भीखाबांध (राजगंज पंचायत) या भड़सड़ा पंचायत के पास पुलिस चौकी खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2839. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, निर्वाचन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज प्रखंड में पिछले 7-8 वर्षों से निर्वाचन विभाग में पदस्थापित शिक्षक अमजद अली द्वारा अनियमित कार्य किए जाने की शिकायत जिलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को करने के बाद भी उन्हें हटाया नहीं गया है, यदि हाँ, तो सरकार निर्वाचन विभाग में पदस्थापित उक्त शिक्षक को कबतक स्थानांतरित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगाना

*2840. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गुरारू चीनी मिल को राज्य सरकार द्वारा विगत छः माह पूर्व में उद्योग लगाने हेतु बियाडा को जमीन हस्तानान्तरित किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार बियाडा को जमीन हस्तानान्तरित किये गये भूमि पर कबतक उद्योग लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उल्लेखनीय है कि गया जिलान्तर्गत गुरारू चीनी मिल इकाई की कुल उपलब्ध 27.36 एकड़ भूमि गन्ना उद्योग विभाग से बियाडा को प्राप्त हुयी है। उक्त भूमि पर आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। चीनी मिल की घेराबन्दी का कार्य लगभग 800 मीटर की लंबाई में प्रगति पर है, जिसमें से लगभग 450 मीटर घेराबंदी का कार्य संपादित कर दिया गया है। बियाडा द्वारा इस औद्योगिक क्षेत्र का मास्टर प्लान भी तैयार कर बेवसाइट पर इच्छुक उद्यमियों के लिये प्रकाशित की गयी है।

भर्ती कराना

*2841. श्री सतीश कुमार (क्षेत्र संख्या-218 मखदुमपुर (अ०जा०))--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में अनुसूचित जाति के 80,000 (अस्सी हजार) एवं अनुसूचित जनजाति के 5,000 (पाँच हजार) पद सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों सहित 38 जिलों में 5 वर्षों से रिक्त है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विभागों में रिक्त पदों को भरने हेतु (Back log) बैकलॉग का अभियान चलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अश्लील भोजपुरी गानों पर नियंत्रण के लिये नियम के प्रावधान

*2842. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सार्वजनिक स्थलों पर बजने वाले अश्लील भोजपुरी गानों पर सरकार का कोई नीतिगत नियंत्रण नहीं रहने के कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार सार्वजनिक स्थलों पर बजने वाले अश्लील भोजपुरी गानों पर नियंत्रण लगाने के लिये कबतक नीति निर्धारण करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि उपलब्ध कराना

*2843. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 24 जून, 2021 के अंक में छपी खबर के आलोक में क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में उद्योगों के लिये जमीन की कीमत दिल्ली एवं अन्य राज्यों से ज्यादा होने के कारण निवेशक राज्य में उद्योग लगाने से हिचकते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि दूसरे रान्यों के मुकाबले हमारे राज्य में जमीन की कीमत दुगनी होने से उद्योग स्थापित होने में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने हेतु अन्य राज्यों की अपेक्षा सस्ते दर पर भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बसाने की व्यवस्था करना

*2844. श्री राजेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-104 हथुआ)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखंड हथुआ में स्थित सबेया फील्ड पर आसन्न नए एयरपोर्ट का निर्माण कराने हेतु वर्षों से बसे लोगों को फील्ड खाली करने हेतु नोटिस दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिन्हें नोटिस दिया गया है, उनमें ज्यादातर लोग दलित, महादलित एवं गरीब तबके के हैं जिनके पास अपनी कोई भूमि भी नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में वर्णित लोगों को अन्यत्र बसाने की व्यवस्था करने एवं व्यवस्था होने तक उन्हें वहीं रहने देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ऋण उपलब्ध कराना

*2845. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार हेतु मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत कम ब्याज दर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में आवेदन जमा कराया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्राप्त आवेदनों को जिला चयन समिति के स्तर पर जाँचोपरान्त चयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है ;

(3) क्या यह बात सही है कि चयन के उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों को बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम, पटना से ऋण वितरित किया जाता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को ऋण जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से ही उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) स्वीकारात्मक ।

(4) मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की मंत्रिपरिषद् से अनुमोदित मार्ग-निर्देशिका में बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को रोजगार ऋण के वितरण हेतु प्राधिकृत किया गया है। इस संस्था द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया जा रहा है।

सरकार के स्तर पर जिला चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से ऋण उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था

*2846. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत नगर परिषद्, पीरो के लोहिया चौक पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं रहने के कारण आरा-सासाराम रोड और पीरो-बिहिया रोड में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है तथा आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थल पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उचित दाम दिलाना

*2847. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव एवं पीरपैंती प्रखंड में मक्के का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं होने के कारण वृहत पैमाने पर मक्का को ओने-पौने दाम में व्यापारियों द्वारा किसानों से खरीद कर दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक इस क्षेत्र में मक्का आधारित उद्योग लगाकर यहां के किसानों को मक्के की फसल का उचित दाम दिलाने एवं क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल स्थापित कराना

*2848. श्री अवध बिहारी चौधरी (क्षेत्र संख्या-105 सीवान)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला में स्थित पंचरूखी चीनी मिल विगत कई वर्षों से बंद रहने से इस जिले का गन्ना उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर, हरखुआ, गोपालगंज, सिधवलिया चीनी मिल में देना पड़ता है जिसके कारण गन्ना उत्पादकों को खर्च ज्यादा होने से मुनाफा नहीं के बराबर होता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बंद चीनी मिल चालू करने या अन्य आधुनिक चीनी मिल स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सीवान जिलान्तर्गत निजी क्षेत्र की चीनी मिल पंचरूखी विगत लगभग 40 वर्षों से बंद है । इस क्षेत्र के पेराई योग्य गन्ने का निष्पादन पड़ोस की चीनी मिलें गोपालगंज, सिधवलिया एवं प्रतापपुर (उ०प्र०) द्वारा किया जाता है । सरकार की अपने स्तर से किसी निजी बंद चीनी मिल को चालू करने की योजना नहीं है । सरकार द्वारा राज्य में निजी या सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा चीनी मिल स्थापना हेतु किये जाने वाले निवेश को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है । उपरोक्त आलोक में यदि कोई निवेशक पंचरूखी क्षेत्र में चीनी मिल स्थापना हेतु निवेश करेंगें तो वैधिक प्रावधानों के अंतर्गत सरकार द्वारा उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

निष्पादित करना

*2849. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के सदर प्रखंड के लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाओं के काउन्टर पर 4 मार्च, 2022 तक 29105 मामले लम्बित हैं जिसमें समय-सीमा बीत जाने के बाद भी लम्बित मामले 14951 हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मामलों में अधिकांश आय, आवासीय एवं जाति प्रमाण-पत्र के मामले लम्बित हैं जिसके कारण आमजनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त लम्बित मामलों को कबतक निष्पादित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की चहारदीवारी

*2850. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत घैलाढ़ प्रखंड के बरदाहा का कब्रिस्तान, मुरलीगंज प्रखंड के सोनबरसा की चहारदीवारी सहित कई प्रखंडों में कब्रिस्तान विभिन्न प्रकार के आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कब्रिस्तानों की चहारदीवारी को चिन्हित कर उसकी मरम्मती हेतु नीति बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2851. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहारा इंडिया में कैमूर जिला के रामगढ़, दुर्गावती, नुआँव प्रखंड

के सीमा देवी, खाता संख्या 24397201421, 2439721424, कृष्णकांत शर्मा, खाता संख्या 628308300734, 62683808300736, राधिका तिवारी, खाता संख्या 573001556539 एवं अन्य व्यक्तियों की जमा राशि का मैच्यूरिटी पूरा होने के बाद भी सहारा इंडिया द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सांख्यिकी वित्त निदेशालय के उप-निदेशक के ज्ञापांक 1120, दिनांक 20 जुलाई, 2021 द्वारा जारी पत्र में जिलाधिकारी, कैमूर को निर्देश दिया गया था कि सहारा इंडिया में निवेशित राशि के परिपक्वता के उपरांत सहारा इंडिया द्वारा निवेशकगण का राशि भुगतान नहीं होने पर बी०पी०आई०डी० ऐक्ट के अन्तर्गत विधिसम्मत् कार्रवाई करने का निदेश है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सहारा इंडिया पर बी०पी०आई०डी० एक्ट के तहत कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आँशिक स्वीकारात्मक । प्राप्त आवेदनों/शिकायतों के आलोक में 36 निवेशकों का भुगतान कर दिया गया है । शेष निवेशकों की भुगतान हेतु कार्रवाई की जा रही है ।

(2) स्वीकारात्मक । प्राप्त आवेदनों/शिकायतों के आलोक में बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2002 यथा संशोधित ऐक्ट, 2013 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकार के स्तर पर वाद संख्या 01/2022 प्रारंभ किया गया है जो प्रक्रियाधीन है । आवेदकों के लंबित राशि भुगतान हेतु सेक्टर प्रबंधक, सहारा इंडिया, भभुआ को निदेशित किया गया है ।

(3) ज्ञातव्य है कि निवेशकों के परिपक्वता का भुगतान सहारा इंडिया द्वारा ही किया जाना है । ऐसे सभी निवेशक, जिनका परिपक्वता भुगतान नहीं होने के संबंध में शिकायत है, उनके द्वारा बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम 2002 (यथा संशोधित 2013 एवं 2017) के अधीन संबंधित जिला के अपर समाहर्ता-सह-सक्षम प्राधिकार के यहां परिवाद दायर किया जा सकता है ।

स्थापना कराना

*2852. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत वैद्यनाथपुर दियारा गंगा पार दक्षिण में अवस्थित है, यहां पुलिस का पहुँचना कठिन होने के कारण बराबर अपराधियों का वर्चस्व रहता है फलस्वरूप हाल ही में मनिहारी थाना अभियोग संख्या 206/21 में दो व्यक्तियों की और अभियोग संख्या 245/2021 में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या हो गयी, यदि हाँ, तो क्या सरकार वैद्यनाथपुर दियारा में एक पुलिस चौकी की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2853. श्रीमती बीमा भारती (क्षेत्र संख्या-60 रूपौली)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत रूपौली थाना के पास पर्याप्त जमीन उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना आदर्श थाना बनने के लिये सभी अर्हताएँ पूरी करती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रूपौली थाना को आदर्श थाना में परिणत करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना:
दिनांक 24 मार्च, 2022 (ई०) ।

शैलेन्द्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु०-118 (एल०ए०), 2021-22 डी०टी०पी०-550